पत्रांक :11/07 (वे•आ•)–01/2016....2553/वि

झारखण्ड सरकार

योजना–सह–वित्त विभाग

(वित्त प्रभाग)

राँची/दिनांक :..27.7.17

संकल्प

विषय : केन्द्रीय सप्तम वेतन पुनरीक्षण के क्रम में दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से वेतन मैट्रिक्स के लेवल 13 में संशोधन के संबंध में।

केन्द्र सरकार के द्वारा अपने कर्मियों के लिए संकल्प संख्या 1-2/2016/I.C. एवं भारत के राजपत्र में अधिसूचित अधिसूचना संख्या 246 दिनांक 25.07.2016 द्वारा सप्तम केन्द्रीय पुनरीक्षण आयोग की अनुशंसाओं को स्वीकार करते हुए दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित सप्तम केन्द्रीय वेतनमान लागू किया गया है।

2. राज्य सरकार अपने सेवीवर्ग को केन्द्रीय सेवाशर्त्तों के साथ केन्द्रीय वेतनमान, भत्ता एवं अन्य सुविधायें यथा चिकित्सा भत्ता, यात्रा भत्ता, ग्रुप बीमा, आवासीय किराया भत्ता इत्यादि और सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवान्त लाभों को केन्द्र के अनुरूप स्वीकृत करने के लिए सैद्धान्तिक रूप से सहमत है। योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के संलेख ज्ञापांक 152/वि० दिनांक 16.01.2017 पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 16.01.2017 की बैठक के मद सं० 09 में राज्य कर्मियों को केन्द्रीय कर्मियों की भाँति दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित सप्तम केन्द्रीय वेतनमान तथा केन्द्र सरकार के पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी को स्वीकृत पुनरीक्षित पेंशन की भांति झारखण्ड राज्य के पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी को पुनरीक्षित पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसे वित्त प्रभाग के संकल्प संख्या 217/वि० दिनांक 18.01.2017 एवं 218/वि० दिनांक 18.01.2017 द्वारा अधिसूचित किया गया।

3. कालान्तर में वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) भारत सरकार के संकल्प सं० 1-2/2016-IC एवं भारत के राजपत्र में अधिसूचित संख्या 132 दिनांक 16.05.2017 द्वारा अपने संकल्प सं० 1-2/2016-IC एवं भारत के राजपत्र में अधिसूचित संख्या 246 दिनांक 25.07.2016 के पैरा 6 में उल्लिखित अनुवध–I में यथा अंतर्विष्ट सिविल वेतन मैट्रिक्स के लेवल 13 के पुनर्गठन सूचकांक को 2.57 से बढ़ाकर 2.67 किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. अतः वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) भारत सरकार के संकल्प सं० 1-2/2016-IC एवं भारत के राजपत्र में अधिसूचित अधिसूचना संख्या 132 दिनांक 16.05.2017 द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के संकल्प सं० 217/वि० दिनांक 18.01.2017 के पैरा 7 में उल्लिखित Schedule-I में यथा अंतर्विष्ट वेतन मैट्रिक्स के लेवल 13 के पुनर्गठन सूचकांक को 2.57 से बढ़ाकर 2.67 किये जाने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स Annexure-I के रूप में संलग्न है।

5. केन्द्र सरकार के द्वारा सातवें पुनरीक्षण के संबंध में लागू संदर्भित आदेश राज्य अखिल भारतीय सेवाओं के सभी संवर्ग के लिए भी प्रभावी होगा।

6. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 2397/वि० दिनांक 17.07.2017 के क्रम में दिनांक 18.07.2017 की बैठक के मद सं० 16 में दी गई है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के अध्यक्ष/सदस्य सचिव/राज्यपाल के सचिव/मंत्रिमंडल सचिवालय/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी मंत्री के आप्त सचिवों/राज्य सरकार के सभी विभागों/सभी विभागाध्यक्षों/निबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय/सचिव, झारखंड विधान सभा/सभी उपायुक्त/महालेखाकार, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाय।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन सर्वसाधारण की जानकारी के लिए झारखंड गजट के असाधारण अंक में किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

26.7.2017

(अमित खरे)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक : 11/07 (वे०आ०)–01/2016 2553/वि. **राँची, दिनांक** 27.7.17

प्रतिलिपि : सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को e-गजट के रूप में राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशन करने हेतु प्रेषित।

26.7.2017

(अमित खरे)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक : 11/07 (वे०आ०)–01/2016 2553/वि. **राँची, दिनांक** 27.7.17

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.7.2017

(अमित खरे)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक : 11/07 (वे०आ०)–01/2016 2553/वि. **राँची, दिनांक** 27.07.17

प्रतिलिपि : माननीया राज्यपाल के सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/राज्य सरकार के सभी विभागों/सभी विभागाध्यक्षों/निबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय/सचिव, झारखंड विधान सभा/सभी उपायुक्त/कोषागार पदाधिकारी, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची/नेपाल हाउस, राँची/पी०एम०यू० कोषांग के सहायक प्रोग्रामर, को विभागीय Website पर upload करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.7.2017

(अमित खरे)
अपर मुख्य सचिव।